तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. 43/2020 कृष्णराम बनाम फरसाराम आदि अन्तर्गत धारा 111,128 आरटीए	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.2021	पत्रावली पेश हुई । अवलोकन किया गया । बहस सूनी गई । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम ग्राम रोही डेलाणा छोटा के पुराने खसरा नम्बर 443/2 तादादी 139 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 202 तादादी 15.8100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 376 तादादी 35.1600 हैक्टेयर कुल तादादी 50.9700 हैक्टेयर खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता मूमल जिनका स्वर्गवास हो चुका है प्रार्थी उनका जायज वारिस हैं। उपरोक्त भूमि की सीमाओं को लेकर पुलिस थाना लूनकरनसर द्वारा संयुक्त टीम बनाकर सही सीमा चिन्ह देने के लिए तहसीलदार महोदय को प्रार्थना पत्र दिनांक 28.08.2019 को पेश किया तहसीलदार महोदय लूनकरनसर ने अपने आदेश क्रमांक 9818–9821 दिनांक 01.10.2019 को एक संयुक्त टीम बनाकर उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया जिसमें नये खसरा नम्बर 202, 376 का सीमाज्ञान संयुक्त टीम द्वारा किया गया व खसरा नम्बर 370 व 376 के बीच में सीमा चिन्ह कायम किये गये जिसका फर्द मौका बनाकर उपस्थित लोगों व टीम द्वारा हस्ताक्षर कर फर्द मौंका तैयार किया गया । खसरा नम्बर 370 जो अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 370 जो अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 370 व 376 की सीमा निश्चित होने के बाद अप्रार्थीगण प्रार्थी उत्तर दिशा की भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे है । फर्द मौका दिनांक 19.06.2013 को व दिनांक 05.10.2019 में स्पष्ट बताया गया है कि उत्तर दिशा के पडोसी फरसाराम वगैरह के खातेदारों द्वारा पुराने खसरा नम्बर 443/2 नये खसरा नम्बर 202, 376 के उत्तर दिशा के हिस्सा पर कब्जा कर रखा है इसलिए प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना अति आवश्यक हैं। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी के पुराने खसरा नम्बर 443/2 जिसके नये खसरा नम्बर 202 तादादी 15.8100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 376 तादादी 35.1600 हैक्टेयर कुल तादादी 50.9700 हैक्टेयर ग्राम रोही डेलाणा छोटा पटवार हल्का रोझां की भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाने बाबत आदेश फरमावें। पैरोकार राज द्वारा नियमानुसार पत्थर गढ़ी पर सहमति प्रकट की गईं। हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। मुताबिक संलग्न फर्द मौका तहसीलदार (भू.अ.) लूनकरनसर के आदेश 9818–9821 दिनांक 01.10.2019 की पालना में पटवार हल्का द्वारा पुलिस थाना लूनकरनसर के साथ ग्राम डेलाना छोटा की रोही के खसरा नम्बर नया 376 खसरा नम्बर पुराना 443/2 का दिनांक 05.10.2019 को मौके पर पहुंच ग्राम डेलाना छोटा की सरहद को कायम करके जीपीएस मशीन द्वारा खसरा नम्बर 376 का सीमाज्ञान पुलिस थाना लूनकरनसर तथा उपस्थित पड़ोसियों मौजूदगी में कराया तथा खसरा नम्बर 370 व 376 के मध्य सीमाचिन्ह दिये गए एवं अन्य दस्तावेज आंशिक नकल नक्शा, जमाबन्दी ग्राम डेलाना छोटा खसरा नम्बर 202,376तादादी 50.9700 हैक्टेयर, जमाबन्दी खसरा नम्बर 335,370 तादादी 26.74 हैक्टेयर संवत् 2071–2074 ग्राम डेलाना छोटा पटवार क्षेत्र रोझां संलग्न हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस का मनन कर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार(भू.अ.) लूनकरनसर सक्षम न्यायालय का स्थगन [illegible] प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा रोही डेलाना छोटा के पुराने खसरा [illegible] 44[illegible] जिसके नये खसरा नम्बर 202 तादादी 15.8100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर [illegible] 35.1600 हैक्टेयर कुल तादादी 50.9700 हैक्टेयर ग्राम रोही [illegible] छोटा में सींवजोड़ काश्तकार को सूचित कर पुनः सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करावे । फैसले की प्रमाणित प्रति तहसीलदार (भू.अ) लूनकरनसर को पा[illegible]र्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (भागीरथ शाख) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:49:04 IST
Reason: SelfAttested